राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

वेसन्तीलाल / शाशि शर्मा

तारीख हुक्म	174/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/12/21	आज यह वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष वादिया/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा एक वाद बाबत विभाजन व अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित आराजीयात में वादिया का हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/9, व प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का हिस्सा 1/9 एवं प्रतिवादी संख्या 6,7 का हिस्सा 2/9, प्रतिवादी संख्या 8,9 का हिस्सा 2/9, एवं प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/9 राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित है वर्तमान में वादिया वादग्रस्त भूमि को अन्य सहखातेदारों के साथ काश्त नही चाहती है ना ही उन्नत करना चाहती बल्कि प्रथक से अपने हक़ व अधिकारों की वादग्रस्त भूमि पर तन्हाकाबिज होकर एवं काश्त कर व उन्नत कर उपयोग एवं उपभोग करना चाहती है वादिया ने प्रतिवादीगण से कई मतबा आपसी सहमती से वादग्रस्त भूमि का तहसील से चल कर सहमती से विभाजन कराने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई रूचि नही ली। अतः वाद प्रस्तुत कर विधिवत तकासमाँ किया जाकर अलग-अलग खाता कायम किये जाने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की ईस्तदुआ की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तामिल जारी किये जाने पर रेस्पो. संख्या 1 लगा. 10 के अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या 13 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादी 11,12,14,15 से वादिया द्वारा अनुतोष नही चाहे जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 10 की बहस सुनकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29/01/2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर यह अंकित किया कि विवादित आराजीयात का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमाँ किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादीगण का हक़ व हिस्सा एवं भूमि की लगान तथा खाता अलग-अलग कायम किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे की 3-3 प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी दिनांक 20/02/2020 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10/अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष दिनांक 23/07/2020 को प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत कि जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31/07/2020 के माध्यम से अपीलार्थी की अपील ख़ारिज करते हुये न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार सांगानेर को यह निर्देश प्रदान किये गये कि प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री	

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	174/2021 रामस्वरूप / श्रीकिशन शर्मा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 29/01/2020 की पालना में उभयपक्षकारान की समुचित सुनवाई कर आपत्ति प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे एवं उभयपक्षकारान को यह आदेश दिया गया कि वे तहसीलदार सांगानेर के समक्ष दिनांक 10/08/2020 को उपस्थित होकर विभाजन के सन्दर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करे | किन्तु तहसीलदार द्वारा दिनांक 21/07/2020 को ही कुर्रेजात तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिये गये | जिसके पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12/03/2021 के माध्यम से प्रतिवादी/अपीलार्थीगण का आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र ख़ारिज करते हुये तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21/07/2020 के अनुसार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 31/07/2020 एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21/07/2020 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि पक्षकारान दिनांक 10/08/2020 को तहसीलदार सांगानेर के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन के सन्दर्भ में अपना पक्ष रखे एवं तहसीलदार को पक्षकारान का सम्पूर्ण पक्ष सुनकर आपत्ति प्राप्त कर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने का स्पष्ट आदेश प्रदान किया गया है | जिस पर अपीलार्थीगण तहसीलदार के समक्ष दिनांक 10/08/2020 को उपस्थित हुये तो तहसीलदार द्वारा पूर्व में ही कुर्रेजात प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिये जाने का हवाला देते हुये अपीलार्थीगण की सुनवाई एवं कुर्रेजात के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही करने से ईन्कार कर दिये जिसके पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात का अवलोकन किया गया जिससे अपीलार्थी को यह ज्ञात हुआ कि उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा नही बनाई जाकर पटवारी हल्का द्वारा बनाई गयी है क्युकी कुर्रेजात रिपोर्ट पर पटवारी द्वारा मनमानी टिप्पणी यह अंकित कर कि “अन्य पक्षकारो ने हस्ताक्षर करने से ईन्कार किया” दिनांक 20/07/2020 को हस्ताक्षर किये गये है जबकी तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात पर दिनांक 21/07/2020 को हस्ताक्षर किये गये | प्रार्थीगण को दिनांक 10/8/2020 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, जिससे अपीलार्थीगण का दिनांक 10/08/2020 से पूर्व तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नही होता था, पटवारी हल्का द्वारा मनमाने रूप से अपीलार्थीगण के अनुपस्थिति में तैयार किये गये कुर्रेजात रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिये गये जबकी राजस्व मण्डल के विभाजन नियमो के अनुसार दोनों पक्षों को सूचित कर उनकी उपस्थिती में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक था | ऐसी त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात के सन्दर्भ में आपत्ति प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की न्यायोचित आपत्तियों को सरसरी तौर पर ही ख़ारिज करते हुये तहसीलदार द्वारा मनमर्जी से तैयार कुर्रेजात के आधार पर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी | जबकी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31/07/2020 में अधीनस्थ न्यायालय को भी आपत्तियो पर समुचित सुनवाई कर निर्णय पारित करने के स्पष्ट आदेश दिये गये | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा मनमाने रूप से रेस्पो. से साज कर सेक्टर रोड की भूमि खसरा नम्बर 56, 57,62,63,64 जिसकी DLC दर अपीलार्थीगण को कुर्रेजात एवं अन्तिम डिक्री में दी गयी भूमि से 3 गुना से अधिक ज्यादा की है दे दी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में हमारा ध्यान विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट में अपीलार्थीगण को दिया गया खसरा नम्बर 270, 542, 543, 547 गैर मुमकिन रास्ता है एवं खसरा नम्बर 286 गैर मुमकिन खड्डा है एवं खसरा नम्बर 242 गैर मुमकिन चाह है जिसमे कुआ विधमान है जो आराजी अपीलार्थीगण को दी गयी है जबकि विधि अनुसार एवं राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसरण में गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन खड्डा एवं कुआ की भूमि को सभी पक्षकारान के मध्य बराबर-बराबर बांटा जाना आवश्यक था, इन्ही सभी तथ्यों को अपीलार्थीगण द्वारा अपने आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखा गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र का कोई अवलोकन ही नही कर तहसीलदार द्वारा मनमानी रूप से बनाये गये कुर्रेजात के आधार पर भी अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में क़ानूनी त्रुटी की है | अत: अपीलाधीन निर्णय व डिक्री ख़ारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को एवं तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जावे की वे सैक्टर रोड पर स्थित भूमि खसरा नम्बर 56, 57,62,63,64 एवं गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन खड्डा एवं कुआ की भूमि सभी पक्षकारान के मध्य समान रूप से बाटते हुये कुर्रेजात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	174/2021 बसन्तीलाल / शशि शर्मा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिपोर्ट तैयार करे एवं पक्षकारान को सुनकर अन्तिम निणर्य व डिक्री पुन: पारित करे |

अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है एवं अपीलार्थीगण कुर्रेजात बनाते वक्त मौके पर मौजूद थे किन्तु उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसकी टिप्पणी कुर्रेजात पर अंकित की गयी है जो एक लोक सेवक की रिपोर्ट है जिससे कानूनन सही माना जाएगा | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया की तहसीलदार द्वारा सरस-नरस के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर प्राप्त आपत्तियों का विधिक निस्तारण करते हुये सही रूप से अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जिसमे कोई विधिक त्रुटी नही है | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया की चूँकी विवादग्रस्त भूमि कृषि आराजीयात है ऐसी स्थिति में DLC की दर के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक नही रहता है अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने जवाब वाद में भी अपना पृथक-पृथक हिस्सा किया जाना नही चाहा गया था एवं कुए व रास्ते की भूमि के पास ही अपीलान्ट के रियायशी मकानात बने होने के कारण अपीलांट की सुविधा के मध्य नजर उक्त भूमि अपीलांट के हिस्से में दी गयी है जिसमे कोई त्रुटी है | अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि मौके पर वर्तमान में कोई सेक्टर रोड विधमान नही है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अनावश्यक तथ्यों को अंकित कर पक्षकारान के मध्य विधिक विभाजन नही हो के लिए यह अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमे कोई सार नही होने से ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री जैर अपील के सन्दर्भ में अपीलार्थी ने अपील में एवं दौराने बहस मुख्य आपत्ति यही दर्ज कराई है कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात में सेक्टर रोड की सम्पूर्ण भूमि रेस्पो. संख्या 1 को एवं गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन खड्डा एवं गैर मुमकिन चाह (कुआँ) की सम्पूर्ण आराजी अपीलार्थीगण को दिया जाना दर्शाया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर गौर नही कर तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी | इस सन्दर्भ में विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में गैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बसन्तीलाल / शारदा शर्मा

तारीख हुक्म	174/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मुमकिन रास्ते के खसरा नम्बर 270, 542, 543, 547 एवं गैर मुमकिन खड्डा के खसरा नम्बर 286 एवं गैर मुमकिन चाह 242 जिसका की सभी पक्षकारान के मध्य बराबर-बराबर विभाजन किया जाना विधि अनुसार आवश्यक था किन्तु तहसीलदार द्वारा ऐसा नही कर उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण के हिस्से में ही दर्शाकर कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कतई गौर नही करते हुये निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दी गयी | जो माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के निर्धारित नियमो की स्पष्ट रूप से अवेहलना की जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस अपील पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न नक्शों की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया गया था कि विवादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 56, 57,62,63,64 के लगवा सेक्टर रोड प्रस्तावित होने के फलस्वरूप उक्त आराजी की DLC दर अपीलार्थीगण को दी गयी आराजीयात की DLC दर से 3 गुना है | इस सन्दर्भ में तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमे इस सन्दर्भ में कुर्रेजात पक्षकारान बनाते वक्त कोई टिप्पणी अंकित नही की गयी है जबकी सभी पक्षकारान के मध्य कुर्रेजात तैयार करते वक्त अच्छी में अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक होता है | इस सन्दर्भ में कुर्रेजात रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से जिनमे पटवारी के हस्ताक्षर एवं अंकन दिनांक 20/07/2020 का है एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर दिनांक 21/07/2020 के है से स्पष्ट होता है कि उक्त कुर्रेजात तहसीलदार द्वारा स्वयं नही बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये है जबकी कानूनन बटवारा प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर तैयार किया जाना होता है यही निर्देश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये थे किन्तु ऐसा नही कर तहसीलदार द्वारा गंभीर विधिक त्रुटी कारित की गयी है | इन्ही सब आपत्तियों को दर्शाते हुये अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका विस्तृत निस्तारण नही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र सरसरी तौर पर आपत्ति प्रार्थना पत्र ख़ारिज का अंकन करते हुये तहसील से प्राप्त उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21/07/2020 के आधार पर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिया गया जो विधिअनुरूप एवं न्यायसंगत प्रतीत नही होता है इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/01/2020 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 31/07/2020 की और ध्यान आकर्षित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	174/2021 बसन्तीलाल / शशि शर्मा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

करा कर निवेदन किया था कि इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों तहसीलदार के समक्ष कुर्रेजात तैयार करवाने हेतु दिनांक 10/08/2020 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, इससे स्पष्ट होता है कि यह निर्देश दोनों पक्षों की उपस्थिति में दिये गये थे जिससे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा पटवारी के समक्ष दिनांक 20/07/2020 को ही उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवा ली गयी जबकी यह स्वभाविक था कि उक्त दिनांक को अपीलार्थी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नही था क्युकी उसे एवं रेस्पो. को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने हेतु दिनांक 10/08/2020 दी गयी थी | अत: दिनांक 10/08/2020 से पूर्व जो कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाई गयी है वह अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में स्पष्ट रूप से रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने प्रभाव से तैयार की गयी रिपोर्ट सिद्द होती है, जिससे इस न्यायालय के निर्देशों की कतई पालना नही हुई है | इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी नजरअन्दाज करते हुये दिनांक 21/07/2020 को तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर त्रुटी कारित की है जो अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्देशों की अवेहलना की परिभाषा में आता है | अत: तहसील द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/03/2021 त्रुटीपूर्ण होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्पूर्ण विवादगस्त आराजी के साथ ही विशेष रूप से मौके पर कोई सेक्टर रोड विधमान है से लगी हुई भूमि एवं गैर मुमकीन रास्ता, गैर मुमकीन खड्डा एवं गैर मुमकीन चाह से सम्बन्धित खसरा नम्बरान के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित विभाजन के नियमो के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी की सम्पूर्ण विवेचनात्मक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसील से प्राप्त कर उस पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं प्राप्त आपत्तियां का विस्तुत निस्तारण करते हुये पुन: अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे | साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वह सम्बन्धित तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाने के पत्र में स्पष्ट निर्देश दे की तहसीलदार स्वयं मौके पर पक्षकारान को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में उनको सुनवाई का अवसर देते हुये उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है | पक्षकारान को यह आदेश दिया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07/01/2022 को उपस्थित होकर प्रकरण के निस्तारण में सहयोग करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	174/2021 बसन्तीलाल / शशि शर्मा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 7	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय आज दिनांक 21/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	